



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042022-235017
CG-DL-E-09042022-235017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1641]
No. 1641]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/ चैत्र 18, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

का.आ. 1724(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3घ की उप-धारा 2 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1725 (अ), तारीख 22 जुलाई, 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में सिविल रिट याचिका संख्या 2014 की 4748 में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, गाँव भांडगाव के कॉलम नं. 8 में प्रकाशित हुए क्षेत्र में निम्नलिखित संशोधन करती है:

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, -

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण/गट संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिसूचना संख्या का.आ. 1725 (अ), तारीख 22 जुलाई 2011 में प्रकाशित कॉलम नं. 8 में प्रकाशित हुए क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अधिसूचना संख्या का.आ. 1725 (अ), तारीख 22 जुलाई 2011 में प्रकाशित कॉलम नं. 8 में प्रकाशित हुए क्षेत्रफल के बदले सुधारित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
				3 क के अनुसार	जे.एम. और 7/12 के सार के अनुसार				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	पुणे	1- दौंड	(5)भांडगाव	557 भाग	557	निजी	नम	700	0

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3घ के अधीन का.आ. 1725 (अ), तारीख 22 जुलाई 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. NHAI/11013/LA/PIU Pune/3D Corrigendum/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th April, 2022

S.O. 1724(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1725(E) dated 22nd July 2011, published in Gazette of India, Extraordinary Part II, Section, 3 Sub section (ii) and issued under sub-section (2) of Section 3D of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, in pursuance to the order of the Hon'ble High Court of Bombay, in Civil Writ Petition number 4748 of 2014, makes the following corrections in the area published in column No. 8 against village (5) Bhandgaon:-

In the schedule to the notification, -

Serial Number	Name of the District	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey / Gat Number		Type of Land	Nature of Land	Area Published in column No. 8 of S.O No. 1725 Dt. 22/07/2011 (in square metres)	Corrected Area which is to be read in place of area Published in column No. 8 of S.O No. 1725 Dt. 22/07/2011 (in square metres)
				As per 3A	As per JM & As per 7/12 Extracts				
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	Pune	1.Daund	(5) Bhandgaon	557 pt.	557	Private	Wet	700	0

Footnote : The principal notification under Section 3D of NH Act, 1956, was published vide number S.O. 1725 (E), Dated 22nd July 2011, in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii).

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU Pune/3D Corrigendum/2022]

RAJESH GUPTA, Director